AllDDO/RCS
AS JS (Sri Mishra)
JS (Choudhary)
16 DEC 2020
All DDO

पत्रांक : 45/IHT/16/2015....2405..../वि०

झारखण्ड सरकार

योजना–सह–वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

प्रेषक,

हिमानी पाण्डे,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
झारखण्ड ।

राँची, दिनांक : 14/12/2020

विषय : अन्तर शीर्ष राशि के अन्तरण/निकासी के संबंध में।
प्रसंग : विभागीय पत्रांक 1634/वि० दिनांक 02.06.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा गलत शीर्ष में कटौती की गई राशि/सुसंगत शीर्ष में अधिक कटौती की गई राशि का अन्तरण/वापसी हेतु शीर्ष सृजन करते हुए राशि निकासी/अन्तरण की प्रक्रिया परिभाषित है।

2. गलत शीर्ष में अंतरण / असंगत शीर्ष में कटौती/ सुसंगत शीर्ष में अधिक कटौती के निम्न प्रकार के मामले प्रकाश में आये हैं :–

i. **वेतन विपत्र निर्माण में हुए त्रुटि के कारण किसी पदाधिकारी/कर्मी के वेतन विपत्र से राशि गलत शीर्ष में कटौती**, उदाहरण, सामान्य भविष्यनिधि अग्रिम के विरूद्ध गृह निर्माण अग्रिम मद अथवा किसी अन्य मद में किस्त की कटौती ।

ii. **सुसंगत शीर्ष में अधिक राशि की कटौती हो जाती है** उदाहरण, सामान्य भविष्यनिधि में लिए गये अग्रिम के विरूद्ध 60 किस्तों में वसूली की जानी थी परन्तु भूलवश 62 किस्त कटौती कर ली गई।

3. उक्त के आलोक में शीर्ष से निकासी हेतु पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है :–

i. सर्वप्रथम संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यथासंभव Discrepancy report generate करेंगे। Discrepancy report generate की व्यवस्था नही उपलब्ध होने की स्थिति में गलत कटौती/अधिक कटौती संबंधित विपत्रों एवं साक्ष्य संबंधित DDO प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी से सत्यापित करायेंगे। गलत शीर्ष में कटौती वाले मामले में संबंधित DDO यह सुनिश्चित करते हुए प्रमाण–पत्र देंगे कि मूलतः जिस मद में राशि की कटौती की जानी थी, वह कर ली गई है।

ii. उक्त रिपोर्ट को संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी से सत्यापनोपरान्त अपने प्रशासी विभाग को पृष्ठांकित करेंगे।

iii. प्रशासी विभाग द्वारा जाँच के उपरान्त योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) से सहमति प्राप्त करते हुए राशि (सामान्य भविष्यनिधि के मामले में मूलधन) के निकासी हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जायेगा। राशि निकासी हेतु निम्न बजट शीर्ष का अंकण किया जायेगा। **मांग संख्या–12–योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रमाग) के स्थापना व्यय के बजट शीर्ष–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं–800–अन्य**

2

व्यय–13–असंगत शीर्ष के अन्तर्गत कटौती/सुसंगत शीर्ष में अधिक कटौती की गई राशि की वापसी–07–अन्य व्यय–86–वापसी। तदोपरान्त आवश्यकतानुसार संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण आदि प्राप्त किया जायेगा।

iv. उक्त स्वीकृत्यादेश के आधार पर योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) बजट प्रशाखा द्वारा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को आवंटन दिया जायेगा।

v. निर्गत स्वीकृत्यादेश /आवंटनादेश के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राधिकृत राशि का सही शीर्ष में अन्तरण/निकासी करेंगे। कर्मी के सेवाकाल में प्राधिकृत राशि का सही शीर्ष में अन्तरण किया जायेगा तथा सेवानिवृत्त कर्मी के मामले में राशि की निकासी कर भुगतान किया जायेगा।

4. योजना सह वित्त विभाग के eGRAS portal के माध्यम से विभिन्न राजस्व संग्रहण वाले विभाग के Tax/ Fees/ Royalty आदि को संवेदकों/ आमजन को जमा करने की सुविधा दी गई है। इस क्रम में कई बार जानकारी के अभाव में अथवा भूलवश गलत receipt head में राशि अंतरित हो जाती है, जिसे वापस करने हेतु कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार सही receipt head में भी आवश्कता से अधिक बार कटौती हो जाने के कारण वापसी में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

5. उक्त के आलोक में राशि वापसी हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित किया जाता है :–

i. गलत अंतरण/अधिक अंतरण की सूचना प्राप्त होने पर प्रशासी विभाग द्वारा योजना सह वित्त विभाग के eGRAS portal से जाकर GRN नंबर का मिलान किया जायेगा।

ii. इसके उपरान्त यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस GRN नंबर से कटौती के लिए वापसी हेतु अनुरोध किया जा रहा है, उसके विरूद्ध सेवा प्रदान नही की गई है।

iii. पूर्णतः आश्वस्त होने के उपरान्त राशि के वापसी हेतु प्रशासी विभाग द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) से सहमति प्राप्त करते हुए स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जायेगा। इस हेतु सभी Revenue Earning Departments अपने विभाग के सुसंगत बजट शीर्ष में इस प्रयोजन हेतु 86–वापसी मद में राशि का उपबंध कराना सुनिश्चित करेंगे।

iv. उक्त स्वीकृत्यादेश के आधार पर प्रशासी विभाग द्वारा आवंटन देते हुए राशि की वापसी की जायेगी।

6. पूर्व में निर्गत वित्त विभागीय पत्रांक 1634/वि० दिनांक 02.06.2016 को निरस्त किया जाता है।

विश्वासभाजन,

(हिमानी पाण्डे)
सरकार के सचिव।